कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट udh.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/ 1185 दिनांकः– 08/09/2023

–:कार्यवाही विवरणः–

जोन–1 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 07/2023 वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 06/2022 वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।			
1.	जोन–1	**राजस्व ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 722 में स्थित शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 39935.82 वर्गमीटर पर भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।** **आवेदकः– मानव कल्याण एवं विकास शिक्षण संस्थान जरिये श्रीमति गोगादेवी पत्नि श्री सुखदेवराम चौधरी** भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 07/2023 वीं बैठक दिनांक 05.09.2023	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में आवेदित भूखण्ड के सेटबेक क्षैत्र में अवैध निर्माण हैं। उक्त निर्माण धारा 90/क की कार्यवाही एवम् पट्टा विलेख जारी किये जाने के समय भी था।** **राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार** *"90(क) की कार्यवाही से पूर्व भवन विनियम मानदण्डों के अनुरूप निर्माण के अतिरिक्त अवैध निर्माण भी किया गया हैं तो भवन निर्माण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क एवं बिना स्वीकृति निर्माण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत तथा इसके अतिरिक्त अवैध निर्माण हेतु अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करवायी जाकर आवेदक से अवैध निर्माण एक (01) वर्ष में हटाये जाने हेतु शपथ–पत्र प्राप्त किया जाकर प्रकरण में 90(क) ले–आउट प्लान अनुमोदन पट्टा/लीजडीड की कार्यवाही की जावें एवं आवेदक के शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे कि उसके द्वारा भवन विनियमों के मानदण्डों के विरूद्ध किये गये निर्माण को एक (01) वर्ष में स्वयं के द्वारा हटा लिया जावेगाा अल्यथा निकाय द्वारा ऐसे निर्माण को हटाया जा सकेगा तथा आवेदक द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जावेगा। निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर अवैध निर्माण हटाये जाने की सुनिश्चितता उपरान्त पूर्व में जमा अग्रिम अनुज्ञा शुल्क को समायोजित कर देय शुल्क को समायोजित कर देय शुल्क को जमा करवा कर निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकती हैं, परन्तु दिये गये शपथ–पत्र अनुसार अवैध निर्माण एक (01) वर्ष में नहीं हटाये जाने पर निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की जावे एववं धरोहर राशि जब्त कर निकाय निर्माण हटाने हेतु अथवा भवन सीज करने हेतु स्वतंत्र होगा।"* **प्रार्थी को दिनांक 15.07.2022 को पट्टा विलेख जारी किया गया था जिसकी अवधि एक वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं परन्तु मौके पर निर्माण यथावत हैं। अतः प्रकरण में मौके पर अवैध निर्माण हटाये जाने बाबत प्रार्थी को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने बाबत जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। मौके पर अवैध**

			निर्माण हटाये जाने के उपरान्त ही प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

06/09/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2022/ 1186-90 **दिनांकः–** 08/09/2023

प्रतिलिपि :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (जोन–1), जो.वि.प्रा., जोधपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

06/09/2023

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

जोन–1 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 07/2023 वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्रीमति मृदुला शेखावत, उपायुक्त (जोन–1) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
6.	श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

06/09/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर